सं.31011/7/2014-स्था. (क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांकः   जनवरी, 2017

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- **केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988- निजी एयरलाइन द्वारा जम्मू व कश्मीर की यात्रा में छूट**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 28.11.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वोल्लिखित कार्यालय ज्ञापन द्वारा विशेष छूट योजना के अंतर्गत एलटीसी पर निजी एयरलाइन द्वारा जम्मू व कश्मीर (जे ऐंड के) की यात्रा करने की सुविधा की अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की गई थी। यह सुविधा दिनांक 28.11.2015 से समाप्त हो गई तथा दिनांक 01.06.2016 से पुनः शुरू की गई।

2. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के बारे में कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिन्होंने अनजाने में यह मानकर कि उक्त सुविधा अभी भी उपलब्ध है दिनांक 28.11.2015 से 31.05.2016 के बीच की अवधि में निजी एयरलाइन द्वारा जम्मू व कश्मीर (जे ऐंड के) की यात्रा की तथा बाद में अपने एलटीसी दावों के निस्तारण में समस्याओं का सामना कर रहे थे।

3. व्यय विभाग तथा नागर विमानन मंत्रालय के परामर्श से मामले का परीक्षण किया गया। इस विभाग के दिनांक 28.11.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में छूट देते हुए, ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 28.11.2015 से 31.05.2016 के बीच की अवधि में निजी एयरलाइन द्वारा जम्मू व कश्मीर (जे ऐंड के) की यात्रा की है, के दावों को अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया गया है। यह इस शर्त के अधीन होगा कि टिकट अधिकृत तरीके से तथा एलटीसी-80 किराए पर अथवा कम पर तथा दिनांक 28.11.2014 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 31011/7/2014-स्था. क-IV में दी गई शर्तों के अनुसार बुक किया गया है।

(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषितः
1. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसदीय पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
9. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने के लिए (कार्यालय ज्ञापन/आदेश-स्थापना- एलटीसी नियमावली)।